... न्यायोचित प्रतीत होता है। ... 1955 का खारिज किया।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टीटनवाड़ पटवार हल्का टीटनवाड़ की सरहद में स्थित आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1195 में आवागमन हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त फर्द मौका जांच के सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। अनावेदक उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदययुपरवाटी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त फर्द मौका रिर्पोट मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:12:11 IST
Reason: SelfAttested

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner